UPGK010073262026

न्यायालय : सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–3116/2026

1–लालजी यादव पुत्र श्री बालकिशुन यादव,
2–बेलास यादव पुत्र हरिहर यादव,
निवासीगण–ग्राम रामनगर (डुमरी डेरवां) थाना बड़हलगंज, जनपद गोरखपुर।

.....आवेदकगण/अभियुक्तगण

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी,

मु0 अपराध संख्या–291/2026
धारा–191(2), 191(3), 109(1), 110, 115(2), 131 भारतीय न्याय संहिता
थाना–बड़हलगंज, जनपद गोरखपुर।

नियमित जमानत का यह प्रार्थना–पत्र आवेदकगण/अभियुक्तगण लालजी यादव व बेलास यादव, जो मु0 अपराध संख्या–291/2026 धारा–191(2), 191(3), 109(1), 110, 115(2), 131 भारतीय न्याय संहिता, थाना–बड़हलगंज, जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है, के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

2– मामले के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी मुकदमा करन यादव दिनांक 10.07.2026 को समय 22.13 बजे थाना बड़हलगंज, जनपद गोरखपुर पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वादी मुकदमा ने कई महीने से गाय तस्करी का प्रार्थना–पत्र दिया हुआ था। वादी की भैंस चोरी भी हुई थी। वादी के प्रार्थना–पत्र पर मुकदमा दर्ज हुआ था। आज वादी को पता चला है कि उसकी भैंस व कुछ बछड़ो को लादकर नाव के द्वारा ले जाया जा रहा है। मौके पर जब वादी पहुॅचा तो देखा कि नांव पर गाय के बछड़े लदे हुए थे, वादी वीडियो बनाने लगा तभी ये लोग एक जुट होकर मारने–पीटने लगे जिनके नाम तेज नारायण यादव, अमन यादव, सहाबल, रामवचन यादव, लालजी यादव, श्रीबेलास यादव, अमरजीत यादव, दीपक यादव, राजन यादव व अन्य है। इसके बाद ये लोग जान मारने की नीयत से कट्टे से फायर किये तथा धारदार हथियार से वादी के सिर पर व शरीर पर हमला कर दिये जिससे वादी मौके पर बेहोश हो गया। यह लोग पशु तस्करी का काम करते हैं।

प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचना के क्रम में आहत/वादी मुकदमा करन यादव का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया है। आहत करन यादव की चिकित्सीय परीक्षण आख्या में उसके शरीर पर पर निम्न 05 चोटें पाई गई–

1. Victim semi conscious vital B/P-140/80, PR-87, SPO2-95 percent at room air. Advice CT head.

2. Complain of pain left elbow joint, no external mark of injury seen. Advice x-ray of left elbow.

3. Bandage over right lower forearm with wrist, Advice xray of lower forearm with wrist.

4. Complain of pain over chest, no external mark of injury seen.Advice X-ray of chest.

5. Complain of pain over back of abdomen, no external mark of injury seen. Advice CT spine.

चिकित्सक की राय के अनुसार आहत को आई चोटों को सन्दर्भ में आहत को जिला चिकित्सालय, गोरखपुर सन्दर्भित किया गया। आहत की चोट संख्या–1 के सी0टी0स्कैन व चोट संख्या–2, 3 व 4 के लिये एक्स–रे कराये जाने की सलाह दी गई।

आहत करन यादव के सिर का सी0टी0स्कैन जिला अस्पताल, गोरखपुर में हुआ है। आहत के सी0टी0स्कैन हेड में कोई असामान्यता नहीं पाई गई है।

आहत करन यादव के एक्स–रे रिपोर्ट में भी कोई असामान्यता नहीं पाई गई है।

3– आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण निर्दोष हैं तथा उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी मुकदमा को आग्नेयास्त्र की कोई चोट आना नहीं कहा गया है। वादी मुकदमा व आवेदकगण आपस में पट्टीदार है। वादी मुकदमा को आई चोटें साधारण प्रकृति की है। इस तथ्य का कोई साक्ष्य नहीं है कि उसकी भैंस कब चोरी हुई थी और किन परिस्थितियों में चोरी हुई थी अथवा चोरी भी नहीं हुई थी। सह अभियुक्त सहाबल के द्वारा वादी पक्ष के विरूद्ध मु0सं0 292/2026 दर्ज कराया गया है। इन समस्त आधारों पर उनके द्वारा आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

4– उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने जमानत प्रार्थना–पत्र का प्रबल विरोध एवम् खण्डन करते हुए जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

5– मैंने आवेदकगण/अभियुक्तगण की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र पर उसके विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) की विद्वतापूर्ण तर्को को विस्तारपूर्वक सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

6– आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 15.07.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। मामले के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति आदि को दृष्टिगत रखते हुए, गुणावगुण पर कोई निश्चयात्मक मत व्यक्त किये बिना, आवेदकगण/अभियुक्तगण को सशर्त जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार है।

7– आवेदकगण/अभियुक्तगण लालजी यादव बेलास यादव का उपरोक्त जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्येक को प्रकरण से सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अधीन रू. 50,000/– का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र, उसी धनराशि के दो प्रतिभू एवं निम्न आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत करने पर दौरान विचारण जमानत पर रिहा किया जाये–

क– आवेदकगण/अभियुक्तगण निष्पादित बंध–पत्र में वर्णित शर्तो के अनुसार विवेचना/न्यायालय की कार्यवाही में प्रतिभाग करेंगे,

ख– आवेदकगण/अभियुक्तगण वर्णित अपराध जैसे किसी अपराध में लिप्त नहीं होंगे,

ग– आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से भिज्ञ व्यक्ति को कोई प्रत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देंगे, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके,

घ– आवेदकगण/अभियुक्तगण विचारण के दौरान साक्षी के परीक्षण हेतु उपस्थित होने की दशा में कोई स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे,

ड.– आवेदकगण/अभियुक्तगण विचारण के दौरान न्यायालय की वांछा पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे।

8– किसी भी शर्त का उल्लघंन होने की स्थिति में आवेदकगण/अभियुक्तगण की जमानत निरस्त करने के लिये विचारण न्यायालय स्वतंत्र होगी।

9– इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित की जाये। इस आदेश की एक सॉफ्ट कापी आज ही ई–मेल द्वारा सम्बन्धित जेल अधीक्षक के माध्यम से आवेदकगण/अभियुक्तगण को प्रेषित की जाये।

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O.Code No. 1889

दिनांक–06.08.2026

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.08.06 16:33:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court